हिन्दी की विकास यात्रा

साहित्यकारों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों का योगदान

संपादक

डॉ. एस. प्रीति, डॉ. उषा रानी राव

डॉ. एस. रजिया बेगम

सृजनलोक प्रकाशन

ISBN : 978-81-942920-1-2

© लेखक

प्रथम संस्करण : 2020

प्रकाशक : सृजनलोक प्रकाशन
B – 1, दुग्गल कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली - 110062

शाखा : वशिष्ठ नगर, आरा (बिहार) - 802301

मोबाइल : 7654926060, ईमेल : srijanlok@gmail.com

आवरण चित्र : कुंवर रविन्द्र

आवरण सज्जा : संतोष श्रेयांस

मुद्रक : आरव प्रिंटिंग पैक, ओखला फेज-1, नई दिल्ली

Hindi Ki Vikas Yatra : Sahityakaron, Sansthaon Evam Vyaktiyon Ka Yogdan (Collection of research articles)
Edited by : Dr. S Preeti, Dr. Usha Rani & Dr. Razia Begum

Published by : Srijanlok Prakashan, B - 1, Duggal Colony, Khanpur, New Delhi – 110062

₹ **450**

अनुक्रमणिका

1	बी. एल. अच्छा	राष्ट्रीय और विश्वभाषा के परिप्रेक्ष्य में हिन्दी	8
2	डॉ. रानू मुखर्जी	समकालीन कथा परिदृश्य में स्त्री रचनाकार	13
3	डॉ. सत्यनारायण मुंडा एवं मसकल मुंडा	मुण्डारी साहित्य-अनुवाद में हिन्दी की व्यापकता	17
4	सुभाषिनी एस. लता	फीजी में हिंदी का कारवाँ : संस्थाएं एवं प्रचार-प्रसार	20
5	डॉ. लव कुमार	नए नाटकों की भाषायी पहचान	24
6	डॉ. अरुण हेरेमत	न्यायालयों में हिंदी	28
7	डॉ वी पद्मावती	हिन्दी और तमिल कहानी के विविध पड़ाव	30
8	डॉ. समीर प्रजापति	विश्व हिंदी सम्मलेन: दर्पण भी दीपक भी	36
9	डॉ. के. श्याम सुन्दर	विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी	40
10	डॉ. कविता पनिया	मीडिया और इंटरनेट में हिंदी की भूमिका	43
11	मनप्रीत सिंह संधू	सांस्कृतिक चेतना के विकास में हिन्दी निबंधों का योगदान	46
12	गौरव कुमार	हिंदी भाषा के विकास में साहित्यिक हिंदी पत्रिकाओं का योगदान	50
13	हेमंत कुमार	हिंदी में यात्रा साहित्य का स्थान	54
14	डॉ. अनिता सिंह	हिंदी साहित्य में स्त्री रचनाकारों का योगदान	59
15	दीपंकर पाठक	सिलीगुड़ी में हिंदी की दशा दिशा	63
16	अरूण कमल	हिन्दी साहित्य के विकास में लघु पत्रिकाओं का योगदान	65
17	प्रो. लता सुमंत	गांधी और हिन्दी	68
18	डॉ. रोहिणी पांडियन	फादर कामिल बुल्के का हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में योगदान	70
19	मधूसुदन	हिंदी के विकास का साथी ब्लॉग	73
20	श्रीमती आशा त्रिपाठी एवं सुश्री प्रतिष्ठा मिश्रा	विश्व क्षितिज पर प्रतिष्ठित होती हिंदी	75
21	डॉ. राजनारायण अवस्थी	हिन्दी में तकनीकी लेखन के विकास में ईसीआईएल का योगदान	78
22	डॉ. एन. लक्ष्मी	अण्डमान और निकोबार में हिंदी भाषा व साहित्य	86
23	डॉ. इन्दू के वी	प्रवासी हिंदी कहानी में भारतीय लेखिकाओं की देन: ब्रिटेन के विशेष सन्दर्भ में	90
24	डॉ. पूजा वैष्णव	हिन्दी का अंतरप्रान्तीय भाषिक समन्वय	94
25	डॉ. पूजा तिवारी	अस्मिता के संघर्ष का रेखांकन करती मॉरीशस की हिंदी कविता	97

न्यायालयों में हिंदी कार्रवाई की सार्थकता

डॉ. अरूण हेरेमत
विभाग अध्यक्षा
एल. वी. डी. कॉलेज, रायपूर, कर्नाटक राज्य
दूरभाष: 08277622133

न्याय की संकल्पना मानव के विकास का वह आयाम है, जिससे वह मानवता की ओर अग्रसर होता है, अर्थात् मानवीय विकास का उच्चतम शिखर। न्याय का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार हो। यदि वह व्यवहार उचित नहीं है तो किसी तीसरे वयक्ति को यह तय करने का अधिकार होगा कि वह व्यवहार का विवेचन कर यह तय करे कि कथित व्यवहार उचित था या नहीं। यदि नहीं प्रश्न का उत्तर है तो वहीं से न्यायिक प्रक्रिया का आरंभ होता है।

प्रारंभिक अवस्था में कानून का उदय सामाजिक मर्यादाओं, परंपराओं एवं लोक.व्यवहार के आधार पर ही हुआ था। आज भी जो समाज अपनी परंपराओं एवं सामाजिक व्यवहार के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, अलिखित संविधान के माध्यम से देश का संचालन करता है। जहाँ परंपराओं की जड़ें उतनी गहरी नहीं थीं, वहाँ लिखित संविधान की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यहीं से कानून का उदय हुआ।

सामाजिक सरोकार का सबसे बड़ा माध्यम भाषा है। यदि भाषा न हो तो लोक.व्यवहार को संचालित करना असंभव तो नहीं, किंतु कठिन अवश्य हो जाएगा। सामाजिक अन्योन्याश्रितता के कारण भाषा संप्रेषणीयता समाज को पिरोकर रखने का सर्वाधिक सफल माध्यम है। इस दृष्टि से भाषा का प्रश्न न्याय.प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाज मात्र कुछ व्यक्तियों का समूह नहीं है। वह ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जो अपने व्यवहार, अपनी परंपराओं, तीज.त्योहारों एवं एक ही सांस्कृतिक सूत्र से बँधे हुए महसूस करते हैं।

जब भाषा का महत्व लोक.व्यवहार में इतना अधिक है तो उस प्रक्रिया में उसका महत्व कितना होगा, जो लोक.व्यवहार को नियंत्रित करती है, अर्थात् 'न्यायपालिका'। भारत एक विविधताओं वाला राष्ट्र हैए जहाँ 'कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी', फिर भी अनेक भाषाओं, परंपराओं, लोक संस्कृतियों के विभिन्न स्वरूपों के बावजूद हजारों सालों से भारतभूमि एक राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अपनी सुदृढ़ छवि के साथ प्रतिष्ठित है।

भारतीय न्याय-प्रणाली विश्व की प्राचीनतम न्याय प्रणालियों में से एक है, जो 'कानून का राज्य' के सिद्धांत पर कार्य करती रही है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के हृदय में यह भाव सदा रहा है कि अधिकारों का प्रयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन के बाद ही संभव है। इस देश में जब शासन-व्यवस्था राजाओं के हाथ में थीं, तब भी राजा के अधिकार

लोकहितकारी निर्णयों के अनुरूप ही होते थे। राजा को कानून से ऊपर कभी नहीं माना गया। कानून परंपराओं से ऊपर नहीं, बल्कि परंपराओं से ही संचालित होता था। 'राज व्यवस्था' में राजा का स्थान सर्वोच्च भले ही था, पर न्यायधीशों को सदैव स्वतंत्र रखा गया।

प्राचीन भारत की न्याय-व्यवस्था के बारे में बृहस्पतिजी कहते हैं. "न्यायालय को केवल लिखित कानून के आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिए। निर्णय समाज में प्रचलित मान्यताओं एवं परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए, भले ही वह पुस्तक में लिखे हुए कानून से भिन्न ही क्यों न हो।"

भाषाई न्यायिक व्यवस्था में गतिरोध मुगलों द्वारा फारसी और अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी को लागू करने से हुआ। फारसी तो धीरे-धीरे हिंदी से घुल-मिलकर पहले उर्दू और फिर हिंदुस्तानी में बदलने लगी, जिस कारण आम हिंदुस्तानी इस भाषा के निकट आने लगा। सन् 1833 तक अंग्रेजों ने भी इसे ही शासन के समस्त निकायों में प्रयोग किया‌ए लेकिन लार्ड मैकाले ने फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को राजभाषा के स्थान पर आरूढ़ करा दिया।

देखते-ही-देखते हिंदी न्यायिक क्षेत्र से आगे जाकर शिक्षा, व्यवसाय, शासन-व्यवस्था आदि क्षेत्रों में भी किस प्रकार अंग्रेजी का स्थान ग्रहण कर सके, इसका मंथन तत्कालीन राष्ट्र-निर्माताओं ने बखूबी किया।

न्यायिक प्रक्रिया में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी सक्षम न्यायिक प्रक्रिया की दृढता इस तथ्य से ज्ञात होती है कि वह कितनी कारगर है और सामान्य जन की न्यायालय तक पहुँच कितनी है? न्याय कितना त्वरित हो रहा है? सामान्य जन की कानून के प्रति कितनी सजगता है? न्यायालय तक सामान्य व्यक्ति की पहुँच कानून को समृद्ध करने का सशक्त रूप है, जो भाषा के माध्यम से ही पूरा होता है। बिना सर्वग्राह्य भाषाओं के यह कार्य संभव नहीं है।

न्यायिक प्रक्रिया के तीन मुख्य चरण होते हैं- न्यायालयों तक पहुँच, प्रभावी निर्णयात्मक शक्ति तथा निर्णय का क्रियान्वयन। इन तीनों के मूल में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि न्यायालय किसी ऐसी भाषा में कार्य करता है, जिससे वादी अनभिज्ञ है तो वह अदालत में जाने से कतराएगा। यदि निर्णय किसी ऐसी भाषा में लिखा गया है, जो कि पक्षों के लिए अनभिज्ञ है तो निर्णय की व्याख्या के लिए वह दूसरों पर आश्रित रहेगा। जब निर्णय ही समझ में नहीं आया तो उसका क्रियान्वयन भी किसी दूसरे की व्याख्या के अधीन रहेगा।

इसलिए भी न्यायिक प्रक्रिया पक्षकारों को समझ में आनेवाली भाषा में ही संचालित की जानी चाहिएए ताकि देश के नागरिकों को उनके नैसर्गिक अधिकार सहज रूप से प्राप्त हो सकें। तभी लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ एवं आम नागरिकों के अंतिम आश्रय 'न्यायालय' में भारतवासियों की आस्था दृढ़ होगी। यही आस्था शोषण से मुक्ति का सुलभ मार्ग प्रशस्त करेगी। तभी हमारे राष्ट्र-निर्माताओं, मनीषियों, चिंतकों का राष्ट्र-निर्माण का स्वप्न साकार हो सकेगा और भारत एक बार फिर विश्व का सिरमौर बन 'सारे जहाँ से अच्छा, हिंदोस्ताँ हमारा' का जयघोष कर सकेगा।

डॉ. एस प्रीति

प्रकाशन : कवितायें, एवं आलेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित।
कृतियाँ : काशीनाथ सिंह के संस्मरण : एक अध्ययन (आलोचना पुस्तक), हिंदी नाटकों में लोक चेतना, लोक साहित्य एवं संस्कृति एक विमर्श (सम्पादित शोध-आलेख संग्रह)
सम्मान : सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज सम्मान, श्रेष्ठ शोध पत्र स्वर्ण पदक, 2012 (एस आर एम विश्वविद्यालय)
सम्प्रति : अध्यक्षा, हिन्दी विभाग,
एस.आर.एम. इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई

डॉ. उषारानी राव

प्रकाशन: कवितायें, एवं आलेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित।
कृतियाँ : सत्तायें संवाद नहीं करती, बदलता नहीं नेपथ्य (कविता संग्रह) हिंदी साहित्य में सामाजिक चुनौतियाँ एवं विमर्श (सम्पादित, शोध आलेख संग्रह)
सम्मान : आनंदऋषि साहित्य पुरस्कार, 2019
सम्प्रति : अध्यक्षा – हिन्दी विभाग
बाल्डविन महिला महाविद्यालय, बैंगलोर

डॉ. रजिया बेगम

प्रकाशन : कवितायें, एवं आलेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित।
कृतियाँ : समकालीन हिन्दी कविता - खंड-1 एवं खंड-2 (सम्पादित), हिंदी नाटकों में लोक चेतना, लोक साहित्य एवं संस्कृति एक विमर्श (सम्पादित शोध आलेख संग्रह)
सम्मान : साहित्यश्री सम्मान-2013, केरल हिंदी साहित्य अकादमी
सम्प्रति : सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग,
एस.आर. एम. इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई

ISBN 978-81-942920-1-2

सृजनलोक प्रकाशन

सृजनलोक प्रकाशन, नई दिल्ली ₹ 450